न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 08/2018/प्रार्थना पत्र रिव्यू

1. आसीन
2. निजाम } पुत्रगण सुलेमान
3. ईदू
4. ईमरान पुत्र नसीर

समस्त जाति तेली निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रज्जाक तेली पुत्र जमाल तेली जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान।
2. ग्राम पंचायत दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान

अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत किये जाने रिव्यू एवं रिकोल आदेश दिनांक 28.11.2016 जिसके तहत प्रार्थीगण के पूर्वज सुलेमान के पक्ष में जारी पट्टा खारिज किया गया सन्दर्भ पत्रावली निगरानी संख्या 54/2015 अनुवानी रज्जाक तेली बनाम आसीन आदि

वकील प्रार्थी श्री कैलाश सोनी
वकील अप्रार्थी श्री बजरंगलाल शर्मा

निर्णय **दिनांकः—18.06.2018**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता एवं दादा सुलेमान पुत्र नीवाज खां तेली निवासी दांता के पक्ष में ग्राम पंचायत दांता द्वारा नीलामी प्रक्रिया का अनुसरण कर सुलेमान द्वारा पूर्ण राशी जमा करवाए जाने के बाद पटटा संख्या 06 दिनांक 06.06.1987 को जारी किया गया था। पटटा की सम्पदा पर पूर्व में सुलेमान का एवं उनके फूटस्टेप पर वर्तमान में प्रार्थीगण का साधिकार कब्जा अधिकार कायम है। अप्रार्थी संख्या 1 से विवादित सम्पदा के साथ साथ अन्य सम्पदाओं के विषय में प्रार्थीगण का कापी लम्बे समय से विवाद चल रहा है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय में उक्त पटटा को निरस्त किए जाने हेतु राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत के अन्तर्गत निगरानी संख्या 54/15 उनवानी रज्जाक तेली बनाम आसीन आदि पेश की, तथा उक्त निगरानी में तामिल कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तामिल करवाकर, सत्यता एवं वास्तविकता माननीय न्यायालय से छुपाकर, न्यायालय को मुगालते में रखकर, मिसरिप्रजेंटन के आधार पर न्यायालय को धोखा देकर एकतरफा निर्णय दिनांक 28.11.2016 को पारित करवा लिया तथा उक्त आदेश के तहत माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की सम्पदा का उपरोक्त पटटा निरस्त कर दिया। चुकि पटटा प्रार्थीगण की सम्पदा के विषय में है, तथा उक्त निर्णय से प्रार्थीगण सर्वाधिक प्रभावित होते है। उक्त पटटा के विरूद्ध निगरानी का मुख्य आधार अप्रार्थी संख्या 1 ने कब्जे के बाबत लिया था। परन्तु माननीय न्यायालय को कब्जे के विषय में संदेह होने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 08.02.2016 के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

बिना मौके की जांच किए तथा मौका कमिश्नर नियुक्त हुए आदेश पारित करवा लिया। मौके पर पटटा की दिनांक से आज तक प्रार्थीगण का साधिकार कब्जा हक अधिकार चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल संदेह के आधार पर कि पटटा की भूमि पंचायत के अधीन थी या नहीं, तथा बिना पंचायत से स्पष्टीकरण एवं जवाब लिए तथा बिना यह तथ्य प्रमाणित हुए कि विवादित पटटा की भूमि सिवाय चक है, पटटा निरस्त किया है। जबकि इस प्रकार के तथ्य ना तो अप्रार्थी ने अपनी निगरानी में प्रकट किए तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने यह प्रमाणित होने वाला दस्तावेज पेश किया कि पटटा की सम्पदा सिवायचक भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में ही प्रशासन एवं स्थापना समिति दांतारामगढ में उक्त पटटा की अपील पेश की थी, उक्त प्रकरण में सक्षम अथोरिटी द्वारा दिनांक 13.08.2013 को कब्जा प्रार्थीगण का बताया था। प्रार्थीगण के नाम से विवादित सम्पदा में विधुत कनेक्शन है। ग्राम पंचायत दांता द्वारा विवादित पटटा के साथ अन्य 9 पटटे भी अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किए है, तथा ग्राम पंचायत दांता के स्वामित्व की सम्पदा बाबत ही जारी किए गये है। जिसके लिए विधिवत नीलामी प्रकिया आयोजित की गई। सुलेमान द्वारा विवादित पटटे हेतु सर्वाधिक बोली लगाए जाने के कारण उसके पक्ष में विधिवत पटटा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को जारी किए गए नोटिसों की तामिल कुनिन्दा से सांज गांठ कर, गवाहों के फर्जी एवं अस्पष्ट, अपूर्ण पता के साथ हस्ताक्षर करवाकर नोटिस लेने से इन्कारी की रिपोर्ट करवाई है। इसलिए सम्पूर्ण कार्यवाही गलत एवं फर्जी तरिके से की गई है। जिसके कारण प्रार्थीगण उक्त तामिल कुनिन्दा एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त दोनो व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही किए जाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राकृतिक न्याय एवं साम्या का सुस्थापित सिद्वान्त है कि कोई भी ओदश पारित किए जाने से पूर्व सम्बन्धित व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा, परन्तु उक्त सिद्धान्त एवं कानून के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय को धोखे में रखकर मिसप्रजेंटेशन के आधार पर तथ्यों को छुपाकर न्यायालय से आदेश पारित करवाया है, जिसको रिकोल कर आदेश निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 सम्बंधित व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिये बिना एवं पक्षकारान को जारी नोटिस पर फर्जी तामिल करवाकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने एवं अप्रार्थीगण की फर्जी तामिल को आधार मान कर प्रस्तुत किया गया है। धारा 97(3) पंचायत राज अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत किए जाने रिव्यू मुख्यतः किसी आदेश में देखने मात्र से (on the face of record) किसी कारणवश हुई त्रुटि को सुधार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो आधार दिये गये है, उनसे पूर्व के आदेश में कोई त्रुटि सुधार की गुंजाइश नहीं है। प्रार्थी के द्वारा उक्त निर्णय की सक्षम स्तर पर अपील/निगरानी की जा सकती थी। अपील की बजाय निर्णय का रिव्यू किया जाना न्याय संगत/तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार उक्त रिव्यू आवेदन आदेश दिनांक 28.11.2016 पर लागू नहीं होता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत रिव्यू सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर